न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2020(बांसवाड़ाआर्डर)

1. भरत कुमार पुत्र श्री जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा(राज.)
2. मणीलाल पुत्र श्री जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती रूपाली पत्नी स्वर्गीय जबरिया, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

कलजी पुत्र श्री लखमा, जाति बंजारा, निवासी लाम्बापाडा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णयउपखण्डअधिकारी घाटोल
दिनांक06.10.2020,प्र०सं०31/19

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री जयेन्द्र पुरोहितअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री भालचन्द नागर अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

–––::–––

निर्णयदिनांक 27–06–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वाराएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी नंबर 303 रकबा 0.07 ग्राम लाम्बापाडा में स्थित है, जिसमें विपक्षी का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण से झगड़ा–फसाद करते हैं, [illegible] उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवायी गयी है, फिर भी विपक्षी प्रार्थीगण की भूमि में जबरन प्रवेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:10 IST
Reason: SelfAttested

करते हैं एवं उनके उपयोग–उपभोग में बाधार उत्पन्न करते हैं एवं गाली–गलौज करते हैं। अतः विपक्षी को मूलवाद निस्तारण तकइस आ ाय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि में जबरन प्रवेश नहीं करें, जबरन कब्जा नहीं करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराप्रार्थीगण को सुनने के बाद प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जानेके आधार पर अपने निर्णय दिनांक 06–10–2020 से खारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 05–11–2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री भालचन्द नागर उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अपीलान्ट विवादित आराजियात का रेकार्डेड खातेदार है, जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार होने से विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी प्रार्थीगण की विवादित आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं एवं गाली–गलौज करते हैं, जिसकी एफ.आई.आर. भी अपीलान्ट द्वारा दर्ज करायी गयी है एवं अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित कराया है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण को सुनने के बाद प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्टगण नेअधिनस्थ न्यायालय अथवा न्यायालय हाजाके समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो किविपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/प्रार्थीगण के कथन मात्र से उनके प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को साबित नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एफ.आई.आर. की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, किन्तु उसमें किसी प्रकार की आराजी नंबर का उल्लेख नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट ने जिस आराजी बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा चाही है, उक्त एफ.आई.आर. उसी भूमि के संबंध में की गयी है। वैसे भी फौजदारी प्रकरणों के आधार पर अपीलान्ट राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं पाये जाने से खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–10–2020यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:10 IST
Reason: SelfAttested